

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) दूसरा संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 में,-

- (i) नियम 23, उप-नियम (2) में, शब्दों, कोष्ठक और अंक, "उप-नियम (1)" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठक, अंको और अक्षरों, "उप-नियम (1क) या (1ख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) नियम 28 के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

**"29. अवशोषणरोधी समीक्षा -** (1) इस अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाये गये किसी प्रतिपाटन शुल्क को तब अवशोषित माना जा सकता है जब भारत से बाहर किसी अन्य देश के मामले में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन लागत में या निर्यातक देशों से भारत में आयातित ऐसी वस्तुओं के बिक्री मूल्यों में कमी किये बिना निर्यातक देश या देशों से आयातित ऐसी वस्तुओं का निर्यात मूल्य, प्रतिपाटन शुल्क को लगाये जाने के बाद, कम हो जाता है।

(2) जहां प्रतिपाटन शुल्क के अधीन कोई वस्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समावेश माना जाता है, और एतद्वारा इस तरह के शुल्क को अप्रभावी किया जाता है अथवा किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, प्रतिपाटन शुल्क के रूप में या आधार पर संशोधन, या पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रतिपाटन शुल्क या दोनों की मात्रा की सिफारिश कर सकता है और पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति में उचित परिवर्तन या समायोजन, यदि आवश्यक हो, क्रमशः नियम 10 और नियमावली के अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसार, किया जा सकता है।

(3) घरेलू उद्योग या कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख से सामान्यतया दो वर्षों के भीतर अवशोषित-रोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करेगा :

परन्तु यह कि किसी मामले में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने पर, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी दो साल की समाप्ति के बाद भी इस तरह की शुरुआत के लिए एक आवेदन स्वीकार कर सकता है :

परन्तु यह और कि तथापि, कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने के लिए बारह महीने से कम शेष बचे हों।

**30. अवशोषण का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत -** (1) नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के किसी भी कथित अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक लिखित आवेदन प्राप्त होने पर या घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी ओर से एक जांच शुरू कर सकता है।

(2) आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम 29 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में एक अवशोषण-रोधी जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे।

(3) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से जांच शुरू कर सकता है यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) के तहत नियुक्त प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है या अन्य स्रोत, कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के अवशोषण की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

(4) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी लागू प्रतिपाटन शुल्क के किसी कथित अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू कर सकता है, जहां यह संतुष्ट है कि वस्तु के आयात प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित कर रहे हैं:

बशर्ते कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले निर्यातक देश की सरकार को सूचित करेगा।

(5) केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर, उस वस्तु के आयात के अनंतिम मूल्यांकन का सहारा ले सकती है, जो कथित रूप से प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित कर रही है और नियम 31 के उप-नियम (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक आयातक से गारंटी मांग सकती है।

(6) नियम 6 के तहत साक्ष्य और प्रक्रियाओं के प्रावधान इस नियम के तहत किए गए किसी भी जांच के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और समीक्षा केवल पाटन और क्षति मार्जिन की पुनर्गणना तक सीमित होगी क्योंकि मूल जांच में क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

(7) जांच शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसी कोई भी जांच समाप्त हो जाएगी :

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, केंद्र सरकार इस अवधि को तीन महीने और बढ़ा सकती है।

**31. अवशोषण का निर्धारण** - (1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यह निर्धारित करने पर कि प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण मौजूद है, प्रतिपाटन शुल्क के रूप में या आधार पर संशोधन की सिफारिश कर सकता है, या प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा, या दोनों, पाए गए वस्तुओं के आयात के लिए मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित करने के लिए और इस तरह की परिवर्तन नियम 30 के तहत जांच शुरू होने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकती है।

(2) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(3) केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, इस तरह की वस्तु के आयात पर लागू प्रतिपाटन शुल्क, या प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा, या दोनों के रूप या आधार नियम 30 के तहत जांच शुरू करने की तारीख या ऐसी तारीख जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई हो को संशोधित कर सकती है।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट:-** मूल नियम अधिसूचना संख्या 2/1995-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 1 जनवरी, 1995 को सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 10/2021-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 75(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

**No. 84/2021-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 761(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Second Amendment Rules, 2021.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, -
  - (i) in rule 23, in sub-rule (2), for the words, brackets and figure, "sub-rule (1)", the words, brackets, letters and figures, "sub-rule (1A) or (1B)" shall be substituted;
  - (ii) after rule 28, the following rules shall be inserted, namely: -

**"29. Anti-absorption review.** - (1) An anti-dumping duty imposed under section 9A of the Act may be considered to be absorbed when export prices of an article from the exporting country or countries

decrease post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in cost of production of such article or export prices of such article to countries other than India or resale price of such article in India imported from the exporting country or countries.

(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done.

(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of anti-absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty:

Provided that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the designated authority may accept an application for such initiation after expiry of the said period of two years:

Provided further that no such application shall be accepted in cases with less than twelve months' period remaining for the anti-dumping duty to expire.

**30. Initiation of investigation to determine absorption.** – (1) Except as provided herein below, the designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged absorption of the anti-dumping duty levied under section 9A of the Act, upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry or by any other interested party.

(2) The application shall, *inter-alia*, contain sufficient evidence as regards the existence of circumstances referred in sub-rule (1) of rule 29 to justify initiation of an anti-absorption investigation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation *suo motu*, if it is satisfied from the information received from the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source, that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to absorption of the anti-dumping duty in force.

(4) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged absorption of the antidumping duty in force where it is satisfied that imports of the article are absorbing the anti-dumping duty:

Provided that the designated authority shall notify the government of the exporting country before proceeding to initiate such an investigation.

(5) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional assessment of the imports of the article alleged to be absorbing an anti-dumping duty in force and may ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 31 is taken by the Central Government.

(6) The provisions regarding evidence and procedures under rule 6 shall apply *mutatis mutandis* to any investigation carried out under this rule and the review shall be limited only to re-computation of dumping and injury margin due to the reason that existence of injury and causal link has already been determined in the original investigation.

(7) Any such investigation shall be concluded within six months from the date of initiation of the investigation:

Provided that in special circumstances for reasons to be recorded in writing, the Central Government may extend the said period for another three months.

**31. Determination of Absorption.** – (1) The designated authority, upon determination that absorption of anti-dumping duty exists, may recommend modification of the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, to imports of articles found to be absorbing an existing anti-dumping duty and such modification may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under rule 30.

(2) The designated authority shall issue a public notice recording its findings.

(3) The Central Government may, pursuant to the recommendations made by the designated authority, modify the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both,

---

applicable to the imports of such article from the date of initiation of the investigation under rule 30 or such date as may be recommended by the designated authority.”.

[F. No. CBIC-190354/209/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published *vide* notification number 2/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 10/2021-Customs (N.T), dated the 1st February, 2021, *vide* number G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2021.